प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक - 25.09.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.09.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	अफजलगढ	फैज उर्फ फैजान पुत्र हाजी अहसान निवासी मौ0 नेजो सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.	कोतवाली देहात	अरुण पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 25.09.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से (घटना होने के मात्र 80 दिवस के अन्दर) मा0 न्यायालय द्वारा धारा 04 पॉक्सो एक्ट व धारा 137(2) बीएनएस के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 07.07.2025 को वादी ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 178/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अपहृता को बरामद करते हुए साक्ष्य संकलन अभियुक्त शाहनवाज पुत्र नाजिम निवासी फ्रैन्डस कॉलोनी मौ0 तोलावाला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर के विरूद्ध विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप **(घटना होने के 80 दिवस के अन्दर)** आज दिनांक 25.09.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्त, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 04 पॉक्सो एक्ट व धारा 137(2) बीएनएस के आरोपी अभियुक्त शाहनवाज पुत्र नाजिम निवासी फ्रैन्डस कॉलोनी मौ0 तोलावाला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान ''ऑपरेशन कन्विक्शन'' के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

शाहनवाज पुत्र नाजिम निवासी फ्रैन्डस कॉलोनी मौ0 तोलावाला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर   दिनांकः- 25.09.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 29.12.2024 को वादी श्री पिन्टू पुत्र राजकुमार सैनी निवासी ग्राम धौलागढ थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर अभियुक्त विनेश पुत्र रामकुमार सिंह निवासी धौलागढ जनपद बिजनौर द्वारा वादी के छोटे भाई मोहित को चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 487/24 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 25.09.2025 को मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा धारा 103(1) बीएनएस आरोपी अभियुक्त विनेश पुत्र रामकुमार सिंह निवासी धौलागढ जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व कुल 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान ''ऑपरेशन कन्विक्शन'' के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

विनेश पुत्र रामकुमार सिंह निवासी धौलागढ जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट-- थाना रेहड

जनपद बिजनौर   दिनांक - 25/09/2025

थाना रेहड पुलिस द्वारा मु0अ0स0 69/25 धारा 303(2)/324(4)/317(2) बीएनएस मे अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियो पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में थाना रेहड पुलिस द्वारा 03 नफर अभियुक्त 1. अजीज अहमद पुत्र कबीर अहमद नि0 नया गांव थाना मिलक जनपद रामपुर 2. राशिद पुत्र लियाकत 3. असीम पुत्र जमील अहमद नि0 गण मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना मिलक जनपद रामपुर को थाना रेहड पर पंजीकृत मु0अ0स0 69/25 धारा 303(2)/324(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी व चोरी गये माल के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः

अभियुक्तगण से पूछताछ में खुलासा हुआ कि दिनांक 11/12.09.2025 की रात्रि को मेघा इंजीनियरिंग से विद्युत तारों की चोरी उन्हीं के द्वारा की गई थी। पूछताछ में अभियुक्तगण 1. अजीज अहमद, 2. राशिद, 3. असीम ने बताया कि वे लालच में आकर चोरी की वारदात में शामिल हुए थे। उनके साथ अन्य अभियुक्त 1. अय्यूब, 2. फिरासत, 3. कासिफ, 4. आकाश, 5. महेश, एवं 6. इमरान उर्फ गप्पी भी शामिल थे।

चोरी के लिए **महिंद्रा XUV व एक पिकअप वाहन (HR 55 AJ 3574)** का प्रयोग किया गया था, जिसे फिरासत और असीम चला रहे थे। पूछताछ में अभियुक्तों ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ चोरी किया गया तार वाहन में न आने के कारण पास के खेत की झाड़ियों में छिपा दिया गया था, जिसे वे बरामद करा सकते हैं।

बरामदगी का विवरणः-

1. 02 बंडल तार व 2 कटर तार एलमुनियम 2 बंडल जिनमे बंडल नं एक की लम्बाई 19 मीटर व दुसरे बंडल की लम्बाई 25 मीटर है दोनो बंडल तारो की गोलाई 4 इंच है।

2. 02 अदद कटर जिसमे एक कटर टपारिया कम्पनी का है जिस पर BC- 24 लिखा है जिसकी लम्बाई 3 वालिस्त है जवडा लोहा 7 अंगुल जिसपर काले रंग की प्लास्टिक हत्था चढा है दुसरा कटर प्लासनुमा मुंह का है जिसकी लम्बाई 2 वालिस्त 2 अंगुल है दोनो कटर नीले रंग के है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. अजीज अहमद पुत्र कबीर अहमद नि0 नया गांव थाना मिलक जनपद रामपुर
2. राशिद पुत्र लियाकत नि0 मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना मिलक जनपद रामपुर
3. असीम पुत्र जमील अहमद नि0 मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना मिलक जनपद रामपुर

आपराधिक इतिहासः-

1. राशिद पुत्र लियाकत नि0 मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना मिलक जनपद रामपुर

* मु0अ0सं- 503/2017 धारा 13जी एक्ट थाना मिलक जनपद रामपुर
* मु0अ0स0 69/25 धारा 303(2)/324(4)/317(2) बीएनएस थाना रेहड जनपद बिजनौर

2. **असीम पुत्र जमील अहमद नि0 मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना मिलक जनपद रामपुर**

* मु0अ0सं- 320/2017 धारा 302/34/457/506 भादवि थाना मिलक जनपद रामपुर
* मु0अ0स0 69/25 धारा 303(2)/324(4)/317(2) बीएनएस थाना रेहड जनपद बिजनौर

3. **अजीज अहमद पुत्र कबीर अहमद नि0 नया गांव थाना मिलक जनपद रामपुर**

* मु0अ0स0 69/25 धारा 303(2)/324(4)/317(2) बीएनएस थाना रेहड जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष श्री विकास कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री भीम सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।
4. हे0का0 353 पुरुषोत्तम थाना रेहड जनपद बिजनौर।
5. का0 1642 राजकुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।
6. का0 333 ललित थाना रेहड जनपद बिजनौर
7. सर्विलांश टीम जनपद बिजनौर

प्रैस नोट

मिशन शक्ति फेज – 5.0

दिनाँक 25.09.2025

थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा स्योहारा में मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत एम0क्यू0 इन्टर कालेज व लक्ष्य कालेज में महिला एवं स्कूली छात्राओं की सुरक्षा हेतु महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को जागरुक कर हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी दी गयी।

आज दिनांक 25 सितंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा स्योहारा स्थित एम0क्यू0 इण्टर कॉलेज में कक्षा 6 से 12 तक की लगभग 150 छात्राओं व अध्यापिकाओ व लक्ष्य कालेज में लगभग 120 छात्राओ व अध्यापिकाओ के साथ "मिशन शक्ति फेज-5.0" के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं जागरूकता संबंधी विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याण कारी योजना जैसे विधवा पैन्शन योजना, वृद्धा अवस्था पैन्शन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना , प्रधानमन्त्री आवास योजना , उज्जवला योजना , मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना , नशा मुक्ति भारत अभियान इत्यादि से अवगत कराया गया तथा इसके अतिरिक्त महिलाओ को उनकी सुरक्षा के सम्मान के प्रति जागरुक किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने अपील की कि छेड़छाड़, उत्पीड़न या किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में पीड़ित तुरंत पुलिस से संपर्क करें और बिना किसी संकोच के अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आपके नाम पते को गोपनीय रखा जायेगा। कार्यक्रम में थाना प्रभारी स्योहारा व थाना स्योहारा की मिशन शंक्ति टीम के अधिकारी व कर्मचारीगण शामिल रहे।

अभियान के दौरान महिला छात्राओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा और नारी सुरक्षा संबंधी जागरूकता दी गई। छात्राओं को साइबर अपराध, सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने के उपाय, ऑनलाइन फ्रॉड, फ़िशिंग और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही उन्हें साइबर धमकी या उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने और सहायता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन व ऑनलाइन पोर्टल्स की जानकारी दी गई।

साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना आदि की जानकारी भी प्रदान की गई।

महिलाओ एव बालिकाओ की सुरक्षा हतु हेल्पलाइन नबरः

1090: वीमेन पावर लाइन

181 : महिला हेल्पलाइन

1076 : मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

112 : पुलिस आपातकालीन सेवा

102 : गर्भवती महिला व नवजात शिशु एम्बुलेंस सेवा

108 : सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098: चाइल्ड लाइन

101 : अग्निशमन सेवा

1930 : साइबर क्राइम हेल्पलाइन

पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर द्वारा सभी महिला पुलिस कर्मियों को अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर अधिक से अधिक महिलाओं तक सम्पर्क स्थापित कर उन्हें जागरूक करने के लिये निर्देश दिये गए हैं।

जनपद बिजनौर पुलिस का प्रयास है कि इस प्रकार के जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज में महिला सुरक्षा, आत्मबल और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश फैलाया जाये।

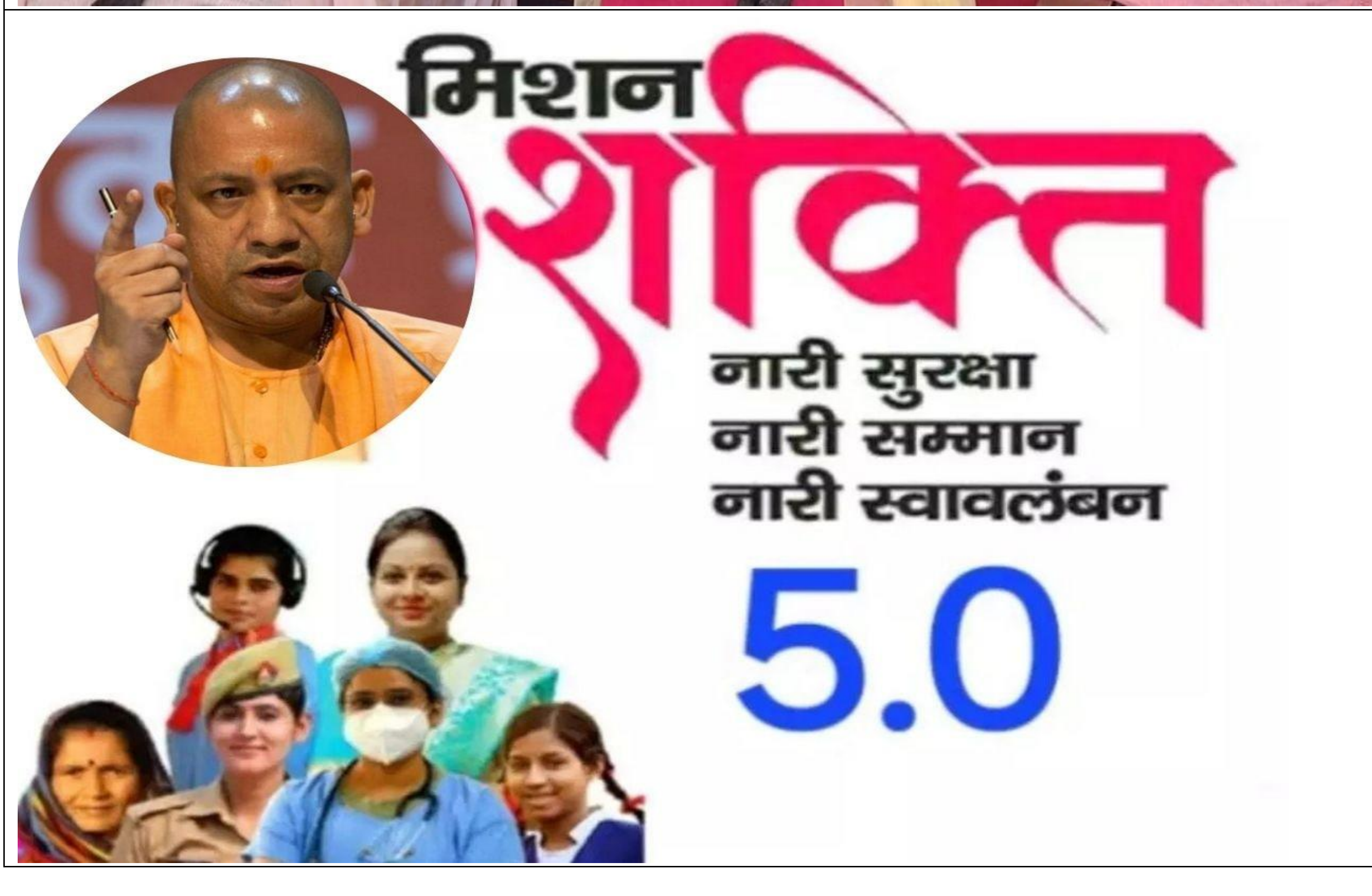
मिशन
शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
5.0

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ दिनांक -25.09.2025

थाना अफजलगढ क्षेत्रान्तर्गत मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत कुंवर हरिशचंद्र स्मारक इंटर कॉलेज कासमपुर गढी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आज दिनांक 25.09.2025 को *"मिशन शक्ति"* के पंचम चरण के अंतर्गत थाना अफजलगढ क्षेत्र के ग्राम कासमपुर गढी स्थित **कुंवर हरिशचंद्र स्मारक इंटर कॉलेज** में *"मिशन शक्ति जागरूकता अभियान"* का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं में **नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन** की भावना जागृत करना रहा।

इस अवसर पर छात्राओं एवं उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी दी गई, जिनमें –

- **1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन**
- **1090 वीमेन पावरलाइन**
- **181 वीमेन हेल्पलाइन**
- **112 पुलिस आपातकालीन सेवा**
- **102 गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस सेवा**
- **108 सामान्य एम्बुलेंस सेवा**
- **1098 चाइल्ड लाइन**
- **101 अग्निशमन सेवा**
- **1930 साइबर हेल्पलाइन**

शामिल हैं। प्रतिभागियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने तथा नारी सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग की तत्परता के विषय में जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का विवरण

1. **स्थान** – ग्राम कासमपुर गढी, थाना अफजलगढ, जनपद बिजनौर।
2. **आयोजक विभाग** – शिक्षा विभाग, कुंवर हरिशचंद्र स्मारक इंटर कॉलेज।
3. **थीम** – महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हेल्पलाइन नम्बरों एवं साइबर क्राइम/सुरक्षा हेल्पलाइन 1930 के बारे में जागरूक करना।
4. **उपस्थिति** – लगभग 100 छात्राएँ एवं 03 अध्यापिकाएँ।

कार्यक्रम में सम्मिलित पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण

1. श्री आलोक सिंह, क्षेत्राधिकारी अफजलगढ, बिजनौर
2. थानाध्यक्ष श्री सुमित राठी मय मिशन शक्ति टीम थाना अफजलगढ, बिजनौर

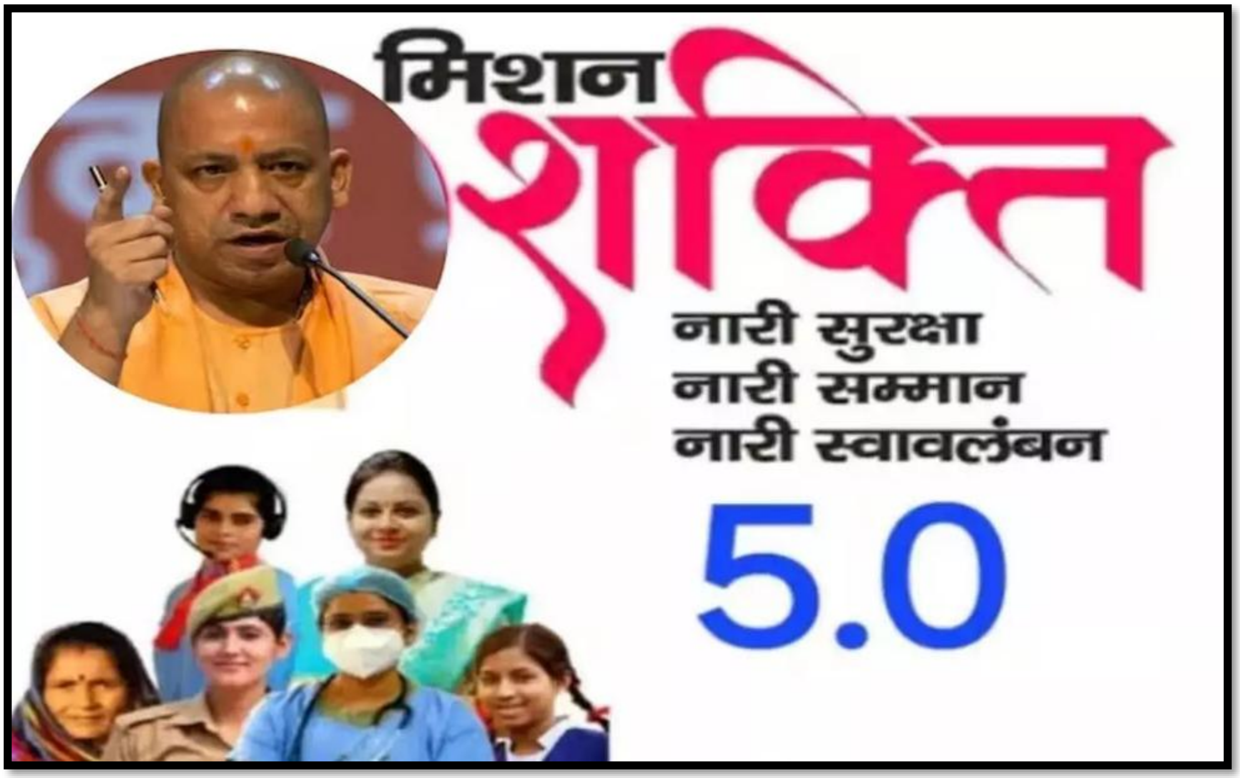
मिशन
शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
5.0

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक 24.09.2025**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान गौकशी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण को पशु वध के उपकरण, अवैध शस्त्र व एक मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

सक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है दिनांक 23/09/2025 को ग्राम तख्तपुर मे नहर के पास खेत मे गौवंशीय अवशेष मिलने के संबंध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 541/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया था।

कार्यवाही विवरण

जनपद मे अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 24.09.2025 को थाना चांदपुर पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तख्तपुर की गौकशी की घटना से संबंधित अभियुक्तगण चांदपुर से अम्हेडा की तरफ जा रहे है।

पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर चेकिंग की गई तो 02 मोटरसाइकिल पर 05 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखायी दिये। पुलिस टीम द्वारा दोनो मोटरसाइकिल पर सवार संदिग्ध व्यक्तियों को रूकने का इशारा किया तो दोनो मोटरसाइकिलों पर सवार अभियुक्तगण द्वारा मौके से भागते हुए जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दो अभियुक्तों के पैर में गोली लगी जिन्हे घायल अवस्था मे गिरफ्तार किया गया। तथा इनके अन्य 03 साथी अन्धेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा जंगल मे काम्बिंग की जा रही है।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्तो ने अपना नाम 1.शहजाद पुत्र भूल्लन, 2.भूल्लन पुत्र अल्लादिया निवासीगण ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर बताया तथा उनके कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर मय 05 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर (दोनो अभियुक्तो से एक-एक), पशु कटान के उपकरण (एक लकडी का गुटका गोल, दो छुरी व दो चापड) व एक स्प्लेन्डर मोटर साइकिल UP20Q-4657 बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने फरार साथियों के नाम 1.अजीम उर्फ चंगा पुत्र याकूब, 2.वसीम पुत्र याकूब निवासीगण ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर तथा एक अभियुक्त नाम पता अज्ञात बताया।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे दोनो अपने फरार 03 साथियो के साथ मिलकर घूमन्तु गौवंशीय पशुओं को पकडकर अरमान पुत्र भुल्लन व रिजवान पुत्र रहीस निवासीगण ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व उनके अन्य साथियो की मदद से किसी सुनसान जगह पर बंधवा लेते है और रात्रि में मौके मिलने पर उक्त पशुओं को जंगल में ले जाकर काट देते है तथा उनका मीट बेचकर आर्थिक लाभ कमाते है।

दिनांक 22/23.09.2025 की रात्रि में भी उनके द्वारा फरार साथियो के साथ मिलकर जंगल में घूमन्तु गौवंशीय पशु को अरमान व रिजवान उपरोक्त व उनके अन्य साथियो की मदद से किसी सुनसान जगह पर बधवा लिया था और रात्रि में मौके लगने पर ग्राम तख्तपुर के जंगल में ले जाकर काट दिया था जिसके अवशेष खेत मे ही छोड दिये थे। गौकशी के मीट को एक अल्टो कार मे अजीम उर्फ छंगा व उसका भाई वसीम अपने दो तीन साथियो के साथ बेचने के लिये चले गये थे। आज रात्रि मे भी वे सभी गौकशी की घटना करने की फिराक मे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1.शहजाद पुत्र भूल्लन निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2.भूल्लन पुत्र अल्लादिया निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

02 अवैध तमंचे 315 बोर, 05 जिन्दा, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, पशु कटान के उपकरण (एक लकडी का गुटका गोल, दो छुरी व दो चापड) व एक स्प्लेन्डर मोटर साइकिल UP20Q-4657

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1.अजीम उर्फ छंगा पुत्र याकूब निवासी ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
2.वसीम पुत्र याकूब निवासी ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
3.एक अभियुक्त नाम पता अज्ञात। .

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त शहजाद उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 677/2013 धारा 379/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2.मु0अ0सं0 697/2013 धारा 120बी/392 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3.मु0अ0सं0 720/2013 धारा 201/364/396/412 भादवि व 3(2)(5) sc st act थाना चांदपुर बिजनौर।
4.मु0अ0सं0 725/2013 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5.मु0अ0सं0 755/2013 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
6.मु0अ0सं0 394/14 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
7. मु0अ0सं0 541/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
8.मु0अ0सं0 547/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना चांदपुर बिजनौर।

1.अभियुक्त भूल्लन उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 117/2024 धारा 147/148/149/307/429 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2.मु0अ0सं0 541/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 547/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना चांदपुर बिजनौर।

पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री संदीप पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 श्री रोबिन कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5. मुख्य आरक्षी वीरेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
6.आरक्षी आदित्य मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
7.आरक्षी रणजीत मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
8.आरक्षी अंकुर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
9.आरक्षी स्नेह सिद्धार्थ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
10.आरक्षी मौ0 सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
11.आरक्षी नितिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।